रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 11, 1996/पौष 21, 1917
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 1996/PAUSA 21, 1917

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1996

सा० का० नि० 22(अ).—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 9 जून, 1995 में प्रकाशित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 496(अ), तारीख 9 जून, 1995 के नियम 2(क) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 65 में,—

(क) उपनियम (5) के खण्ड (1) में उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) उस सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके पर्यवेक्षण के अधीन विक्रय किया गया था ।"

[सं० एक्स 11014/11/93-डी० एम० एस० एण्ड पी० एफ० ए०]

गौतजा चन्द्र, संयुक्त सचिव

99 GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1995